न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, नोहर (हनुमानगढ़)

(पीठासीन अधिकारी भागीरथ शाख आर.ए.एस.)

निगरानी प्र0 सं0 08/2018

1. रामसिंह पुत्र श्री तुलसीराम जाति जाट उम्र 65 वर्ष निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– प्रार्थी

बनाम्

1. मानकचन्द पुत्र श्रीराम जाति महाजन निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. निरन्जन पुत्र श्रीराम जाति महाजन निवासी छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. ग्राम पंचायत छानीबड़ी सरपंच/ग्राम सेवक ग्राम पंचायत छानीबड़ी पंचायत समिति भादरा।
4. विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा।

– अप्रार्थीगण

निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 09.05.2018 विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा

उपस्थितः– श्री विजयसिंह कड़वासरा, अधिवक्ता प्रार्थी

श्री मदन मोहन जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय दिनांकः– **10.03.2022**

यह निगरानी विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा के आदेश दिनांक 09.05.2018 के विरूद्ध प्रार्थी ने निगरानी पेश की है जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न है – निगरानीकार ने निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की तरफ से एक अपील रामसिंह बनाम माणकचन्द आदि प्रस्तुत की है तथा इसी अनवान का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी का रिहायशी भूखण्ड वाके गांव छानी बडी की आबादी भूमि के वार्ड स0 16 भादरा में स्थित है तथा प्रार्थी अपीलान्ट के रिहायशी मकान के पूर्व मे गली छोड़कर किता स0 445 व 446 है तथा उक्त किता न0 का ग्राम पंचायत छानी बड़ी से दिनांक 03.06.1959 को मिसल स0 268 पटटा संख्या 44 है जिसका पटटा दिनांक 14.06.1959 को ग्राम पंचायत छानी बडी द्वारा रामसिंह प्रार्थी के पक्ष में नियमानुसार जारी किया हुआ है। प्रार्थी के मकान के पूर्वी तरफ गली छोड़कर रामसिंह पुत्र उदमीराम जाति जाट निवासी छानी बडी को जो उपर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

वर्णित पटटा की भूमि को रामसिंह पुत्र उदमीराम ने जरिये इकरारनामा दिनांक 11.02.1983 को रामजीलाल पुत्र पूर्णराम निवासी जोगीवाला को किमतन विक्रय कर कब्जा भूखण्ड मौका पर सम्भला दिया तथा इसी भूखण्ड में से रामसिंह ने शेष भूमि को दिनांक 30.01.2004 को जरिये इकरारनामा नारायणसिंह पुत्र रामेश्वर जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील भादरा को किमतन विक्रय कर दिया व कब्जा मौके पर सम्भला दिया एवं रामजीलाल ने रामसिंह पुत्र उदमीराम से खरीद किया उपर वर्णित भूखण्ड जरिये इकरारनामा दिनांक 09.05.2005 को मु. 80,000/ रूपये अखरे अस्सी हजार रूपये में प्रार्थी अपीलान्ट को सम्भाकर अपना कब्जा शुन्य कर लिया तथा प्रार्थी अपीलान्ट ने अपने उपर वर्णित भूखण्ड के चारो तरफ पुख्ता नींव भर रखी है एवं मिटटी की भरती करवा रखी है। उक्त भूखण्ड के चिपते ही पश्चिमी तरफ प्रार्थी अपीलान्ट का रिहायशी मकान है जिसमें परिवार सहित आबाद एवं रिहायश करता आ रहा है। इस प्रकार रामजीलाल से खरीदशुदा भूखण्ड पर प्रार्थी/अपीलान्ट बतौर काबिज एवं मालिक है तथा अप्रार्थी/अनावेदकगण ने प्रार्थी/आवेदक के भूखण्ड के कुछ भूभाग पर जबरिया दो दुकाने तामिर कर ली एवं 20 गुणा 34 फुट जगह खाली पड़ी है जिस पर प्रार्थी की 3 फुट उंचाई में नीव भरी हुई है। अप्रार्थीगण जबरिया प्रार्थी के शेष भूखण्ड पर कब्जा कर तामिर करने पर आमादा है प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध स्थगन आदेश पारित किऐ जाने का निवेदन करता है। अत प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थी के प्लाट की बाबत मौका की यथास्थिति ताफैसला अपील बनाए रखें पाबन्द किये जाने के आदेश फरमाया जावे। स्थगन प्रार्थना पत्र पर मातहत अदालत ने दिनांक 25.04.2018 को स्थगन आदेश अप्रार्थीगण के खिलाफ पारित किये गये तथा मातहत अदालत बिना किसी सही कानून प्रकिया अपनाए दिनांक 25.04.2018 को जारी स्थगन आदेश दिनांक 09.05.2018 निरस्त कर दिया जिससे प्रार्थी/अपीलान्ट को अपूर्णीय क्षति होती है जिससे प्रार्थी आदेश दिनांक 09.05.2018 को अपास्त करवाने बाबत तथा ताफैसला अपील स्थगन आदेश पारित करवाने बाबत यह निगरानी निम्न आधारो पर पेश कर रहा है–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बोहर (हनुमानगढ़)

1. आदेश दिनांक 09.05.2018 बअदालत बअदालत मातहत बखिलाफ कानून नियम वाक्यात रूहदादा मिसल है तथा विधि की भयंकर अवहेलना में पारित किया गया है।

2. आदेश दिनांक 09.05.2018 बअदालत मातहत बिना किसी सही जॉच तथा दस्तावेजा व सही विश्लेषण किये वगैरह कतई मनमाना स्वेंच्छाचारी तथा तथा नियम विरूद्ध आदेश पारित किया है।

3. मातहत अदालत ने अप्रार्थी अनावेदकगण के निरस्त शुदा पटटा की बजाय प्रार्थी के पटटा को जो नियमानुसार जारी है को मिथ्या पूर्ण एवं जालसाजी मानकर स्थगन प्रार्थना पत्र के उददेश्य को ना समझकर अप्रार्थी/अनावेदक को कानुनी के खिलाफत करने की खुली छुट दे दी जिससे प्रार्थी/अपीलान्ट के अपील पेश करने का मकसद समाप्त होता है मगर मातहत अदालत राजनैतिक द्वेषता से वंशीभूत होकर कानूक के अवहेलना मे आदेश दिनांक 09.05.18 पारित किया हो जो काबिल अपास्तनीय है।

4. आदेश दिनांक 09.05.18 जिसकी रूह से स्थगन आदेश दिनांक 25.04.2018 को निरस्त करने से प्रार्थी/आवेदक को सुनवाई व सबूत का कोई मौका दिये वगैरह पंचायत प्रसार अधिकारी गलत जॉच रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिनांक 09.05.18 पारित किया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है तथा आदेश इसी आधार पर काबिल निरस्ती है।

अतः निगरानी प्रार्थी आवेदक प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी स्वीकार फरमावें।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण व अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी निगरानी मिमों के तथ्यों को दोहराते हुए लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का रिहायसी भूखण्ड छानीबड़ी के आबादी भूमि में स्थित है। ग्राम पंचायत छानीबड़ी से दिनांक 06.09.1959 को मिसल नम्बर 268 पटटा स0 44 दिनांक 06.09.1959 रामसिंह पुत्र उदमीराम जाति जाट के पक्ष में नियमानुसार जारी किया हुआ है। रामसिंह पुत्र उदमीराम ने जरिये इकरारनामा रामजीलाल पुत्र पूर्णराम को विक्रय कर दिया था तथा शेष

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भूमि भूमि जरिये इकरारनामा नारायणसिंह पुत्र रामेश्वर को किमतन विक्रय कर दिया। रामजीलाल ने रामसिंह पुत्र तुलसीराम को जरिये इकरारनामा दिनांक 09.05.2005 को अपीलांट को सम्भलाकर अपना कब्जा शुन्य कर लिया। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी परिवार सहित आबाद व रिहायश करता आ रहा है। अप्रार्थी ने प्रार्थी के भूखण्ड के कुछ भू भाग पर जबरदस्ती दो दुकाने तामिर कर ली है। ग्राम प्रसार अधिकारी छानीबड़ी एवं पंचायत प्रसार अधिकारी महावीर सिंह द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में बताया की रामसिंह पुत्र तुलछीराम निवासी छानीबड़ी को जारी पटटा मिथ्यापूर्ण एवं जालसाजी होना पाया गया है। मातहत अदालत ने स्थगन प्रार्थना पत्र में पटटा मिथ्यापूर्ण एवं जालसाजी मानकर स्थगन आदेश खारिज किया है। जिससे प्रार्थी आवेदक के अपील अन्तर्गत धारा 61 पंचायत राज. अधिनियम में पंचायत समिति के निर्णय के खिलाफ 97 (1) पंचायत राज अधिनियम सन् 1994 में स्थगन आदेश ऐसे मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन पड़ा हो ऐसे निर्णय को कार्यान्वित करने से स्थगित किया जा सकता है, यदि उस आज्ञा से किसी पक्ष में हानि हो रही हों। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा किया गया निर्णय गलत है। निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर मातहत अदालत को यह निर्देश दिया जावें कि वह अपील जैर दफा 61 पंचायत राज के निर्णय तक वादग्रस्त स्थल के मौका की यथास्थिति बनाऐं रखें तथा कोई निर्माण कार्य ना किया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में निवेदन किया कि पंचायत समिति भादरा द्वारा दिनांक 09.05.2018 को स्थगन निरस्त करने के आदेश दिये गये थे। इस आदेश के खिलाफ रिवीजन पेश की है मुख्य निर्णय के खिलाफ नही पेश की है, अंतरिम आदेश के खिलाफ की है।। निगरानीकर्ता के कथनानुसार दिनांक 14.06.1959 को पटटा स0 38 रामसिंह पुत्र उदमीराम के नाम जारी होना बताया गया है। उस पटटे की प्रति के अवलोकन अनुसार ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है। रामसिंह पुत्र उदमीराम ने शपथ पत्र (हल्फिया बयान) दिनांक 03.07.2018 में कथन किया है कि उसके नाम कभी कोई पटटा छानीबड़ी में जारी नही किया हुआ है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मिसल न0 268 पटटा संख्या 44 दिनांक 14.06.1959 रामसिंह को जारी ना होकर अन्य व्यक्ति को जारी किया गया है। दिनांक 09.05.2018 को बाद जांच कर स्थगन खारिज कर दिया गया। पंचायत प्रसार अधिकारी की रिपोर्ट दिनांक 05.05.2018 व ग्राम विकास अधिकारी छानीबड़ी की रिपोर्ट दिनांक 03.05.2018 के आधार पर स्थगन खारिज कर दिया गया। निगरानीकर्ता के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हई थी। पुलिस द्वारा इनके विरूद्ध चालान पेश हो चुका है। अतः इन परिस्थितियों में इनका स्थगन खारिज करना उचित ही था। मूल अपील पंचायत समिति भादरा में विचाराधीन है। इनकी निगरानी खारिज फरमावें।

बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। यह निगरानी विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा के आदेश क्रमांक 1121–22 दिनांक 09.05.2018 के खिलाफ पेश की गई। इस आदेश के द्वारा निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र के आधार पर विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा के द्वारा जारी स्थगन आदेश क्रमांक 816 दिनांक 25.04.2018 को ग्राम विकास अधिकारी छानीबड़ी एवं पंचायत प्रसार अधिकारी पंचायत समिति भादरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर निरस्त किया गया। उक्त रिपोर्टो में निगरानीकर्ता (अपीलांट) द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी प्रतीत होने का उल्लेख किया है। चूंकि पत्रावली में सम्बंधित दस्तावेजों की फोटोप्रतियां ही उपलब्ध है, दस्तावेजातों की सत्यता एवं प्रमाणिकता का निश्चयनः अपीलीय न्यायालय में होना है। जहां मूल अपील जैरकार (विचाराधीन) है। विकास अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 09.05.2018 जारी करने से पूर्व निगरानीकर्ता को सुनवाई एवं साक्ष्य का समूचित अवसर नहीं दिया गया है, जो की प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार आवश्यक तत्व है। पत्रावली में उपलब्ध रामसिंह पुत्र उदमीराम के हल्फिया बयान दिनांक 03.07.2018 एवं शपथ पत्र दिनांक 02.08.2018 में वर्णित तथ्य भी विरोधाभाषी है। चूंकि प्रार्थी निगरानीकार ने वादग्रस्त भूखण्ड जरिये इकरारनामा रामजीलाल पुत्र पूर्णाराम से खरीदना बताया है। उक्त इकरारनामा दिनांक 09.06.2005 को 80,000/ रूपयें में विक्रय किया गया है को फर्जी दर्शित करने वाला कोई दस्तावेज पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। पत्रावली में उपलब्ध

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

दस्तावेजों के अनुसार प्रार्थी निगरानीकार एवं अप्रार्थीगण के बीच उक्त वादग्रस्त भूखण्ड के संबंध में फौजदारी प्रकरण एवं मुकदमें बाजी भी पुलिस थाना में पूर्व में हुई है।

अतः उक्त विवेचनानुसार वादग्रस्त पटटे/दस्तावेजों के संबंध में निर्णय अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन मूल अपील में होना है। दोनों पक्षों के बीच अन्य कोई मुकदमेंबाजी एवं विवाद नही बढ़े, इस तथ्य के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन अपील के निर्णय होने तक दोनों पक्षों (प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण) को यथास्थिति बनाएं रखने बाबत् पाबंद किया जाना न्यायोचित है। अतः निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विकास अधिकारी पंचायत समिति भादरा द्वारा जारी आदेश दिनांक 09.05.2018 अपास्त किया जाता है एवं दोनों पक्षों (प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण) को पांबद किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन अपील के निर्णय तक विवादित स्थल ग्राम छानीबड़ी की (आज दिनांक 10.03.2022) वर्तमान मौका स्थिति एवं रिकार्ड में परिवर्तन नहीं करें, यथास्थिति बनाएं रखें। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख मय निर्णय प्रति लौटायी जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दफ्तर दाखिल हों। निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 10.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10/3/2022

(भागीरथ शाख आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ)

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

Web Copy, Not Official